

68

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-०६ / निदे०-धारा-२७५(१)-०६-०२/२०१७- ।२।

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- २२.०३.१७

विषय:- 2016-17 में केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत संविधान की धारा-275(1) के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-११०१५/४(४)/२०१६-Grants दिनांक-२२.०२.२०१७ द्वारा जनजाति आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृत २ (दो) १०० आसन वाले छात्रावास भवनों का निर्माण (१) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, देवरी, कैमूर (२) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, बामदह, जमुई के परिसर में कराने की स्वीकृति, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-१४९४३ (भ०) दिनांक- ०७.११.२०१३ द्वारा प्रति १०० आसन वाले छात्रावास के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹३७९.०० लाख (तीन करोड़ उनासी लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा दोनों छात्रावास के निर्माण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹५००.०० लाख (पाँच करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल ₹३१४.५९ लाख (तीन करोड़ चौदह लाख उनसठ हजार रु०) मात्र विमुक्त राशि की व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹५००.०० लाख (पाँच करोड़ रु०) से अतिरिक्त शेष राशि का वहन राज्य योजना मद से अगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि�०, पटना के माध्यम से कराने की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :— स्वीकृत।

2— अनुसूचित जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत मांग सं०-४४ मुख्य बजट शीर्ष-२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्यशीर्ष-०२-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लधु शीर्ष-१०२-आर्थिक विकास-उपशीर्ष-०१०१-अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विपत्र कोड-पी२२२५०२१०२०१-राज्य योजना स्कीम कोड SST ५४६२-पी०एम०एफ०एस० कोड-TSP2 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3— इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, उपनिदेशक(मु०) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि�०, पटना के पी० एल० खाता-२३८ में स्थानान्तरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि�०, पटना द्वारा राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण निभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4—(१) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, देवरी, कैमूर (२) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, बामदह, जमुई के परिसर में छात्रावास के भवनों का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

5— राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-२५६१ दिनांक १७-४-१९९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

४५

-2-

6— छात्रावास के भवनों का निर्माण स्थल प्रबंधन के अनुरूप मानक प्राक्कलन (Model estimate) के तहत किया जायेगा। भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-14993 दिनांक-7.11.2013 द्वारा प्रति 100 आसन वाले छात्रावास के लिए तकनीक अनुमोदित प्राक्कलन ₹ 379.00 (तीन करोड़ उन्नासी लाख) मात्र के आलोक में निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

7— इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

8— प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं माननीय मंत्री, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

9— प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

10— इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

11— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

Re
२५.३.१७
(प्रेम सिंह भीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-06 / निदे०-धारा-275(1)-06-02/2017- १२१ पटना, दिनांक- २२.०३.१७

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Re
२५.३.१७
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-06 / निदे०-धारा-275(1)-06-02/2017- १२१ पटना, दिनांक- २२.०३.१७

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Re
२५.३.१७
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-06 / निदे०-धारा-275(1)-06-02/2017- १२१ पटना, दिनांक- २२.०३.१७

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Re
२५.३.१७
सरकार के सचिव।